संख्या- 1255/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0-11

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर, बिजनौर, ललितपुर, एटा, बदायूँ, जालौन, बुलन्दशहर, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, गाजीपुर, अमेठी एवं मेरठ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 31 दिसम्बर, 2015

विषयः वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियो के बचाव हेतु **रू0** 3,26,25,000/- (रूपये तीन **करोड़** छब्बीस **लाख** पच्चीस **हजार मात्र**) हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	जौनपुर, पत्र संख्या-449, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	30,00,000 (कम्बल हेतु)

2	बिजनौर, पत्र संख्या-359, दिनांक 28 दिसम्बर,2015	12,50,000 (रू0 10,00,000/- कम्बल एवं रू0 2,50,000/- अलाव हेतु)
3	ललितपुर, पत्र संख्या-798, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	25,00,000 (कम्बल हेतु)
4	एटा, पत्र संख्या-2607, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	16,50,000 (कम्बल हेतु)
5	बदायूँ, पत्र संख्या-888, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	27,50,000 (रू0 25,00,000/- कम्बल एवं रू0 2,50,000/- अलाव हेतु)
6	जालौन स्थान उरई, पत्र संख्या 324, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	27,50,000 (रू0 25,00,000/- कम्बल एवं रू0 2,50,000/- अलाव हेतु)
7	बुलन्दशहर, पत्र संख्या-3896, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015	17,50,000 (रू0 14,00,000/- कम्बल एवं रू0 3,50,000/- अलाव हेतु)

8	लखनऊ, पत्र संख्या-246, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015	27,50,000 (रू0 20,00,000/- कम्बल एवं रू0 10,00,000/- अलाव हेतु)
9	अम्बेडकर नगर, पत्र संख्या-902, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015	25,00,000 (कम्बल हेतु)
10	फतेहपुर, पत्र संख्या-541, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015	1,00,000 (अलाव हेतु)
11	महोबा, पत्र संख्या-423, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015	39,75,000 (रू0 38,25,000/- कम्बल एवं रू0 1,50,000/- अलाव हेतु)
12	चित्रकूट, पत्र संख्या-[illegible]3, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015	10,00,000 (कम्बल हेतु)
13	गाजीपुर, पत्र संख्या-366, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015	33,00,000 (कम्बल हेतु)
14	अमेठी, पत्र संख्या-193,	17,00,000 (रू0 15,00,000/- कम्बल एवं रू0

	दिनांक 31 दिसम्बर, 2015	2,00,000/- अलाव हेतु)
15	मेरठ, पत्र संख्या 121, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015	**16,50,000** (रू0 15,00,000/- कम्बल एवं रू0 1,50,000/- अलाव हेतु)
		रू0 3,26,25,000 **(रूपये तीन करोड़ छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र)**

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1092/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 04.11.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव ।

संख्या-1255(1)/1-10-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम, आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।